प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–2515001010018

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/37/2018–1/124/2018 लखनऊः दिनांक 15 जून, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–541.28 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–50/2018/1072/33–3–2018–100(33)/2015 दिनांक 12 जून, 2018 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 अनुदान संख्या–14 में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–541.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0–541.28 लाख (रूपये पांच करोड़ इक्तालिस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) संलग्न आवंटन की मदों में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018 दिनांक 24.04.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–18–डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय करने में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः आवंटित धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए 934/दस–2008–मि–1/2007, दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

7– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या–81/2016/2689/33–3–2016–100(33)/2015, दिनांक 20–10–2016 के अनुसार किया जायेगा।

8–स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक / डाकघर / पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा।

9–उक्त आवंटित धनराशि जिस कार्य / मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद / कार्य हेतु किया जायेगा।

10–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

11–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

12–उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

13–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–133 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

3

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / शा0 / 37 / 1 / 2018 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– उप निदेशक(पं0) / योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
7– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।